भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5736

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अवसंरचना में सुधार

5736. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुष सेवाओं से संबंधित अवसंरचना में सुधार करने और उक्त सेवाओं तक आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) : जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष सेवाओं की अवसंरचना में सुधार और पहुंच बढ़ाने तथा उक्त सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। हालांकि, केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, मंत्रालय 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना और मौजूदा आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन जैसी विभिन्न गतिविधियों के तहत, वित्तीय सहायता प्रदान करके समुदाय को बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष सेवाओं की अवसंरचना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। स्थापना के लिए अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों और उन्नयन के लिए समर्थित आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों की राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्रमशः **संलग्नक-I और संलग्नक-II** पर दी गई है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय आयुष मिशन, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में आयुष पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एएचडब्ल्यूसी), जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।

(v) 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(viii) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।

(ix) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

एनएएम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1873.20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-III** पर दी गई है।

*****

संलग्नक-I

देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत नए एकीकृत आयुष अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आईएएच की संख्या**
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	1
2.	आंध्र प्रदेश	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	असम	8
5.	बिहार	1
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	9
8.	दादरा नागर हवेली तथा दमण और दीव	1
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	1
11.	**हरियाणा**	**1**
12.	हिमाचल प्रदेश	2
13.	जम्मू-कश्मीर	7
14.	झारखंड	7
15.	कर्नाटक	3
16.	केरल	10
17.	लक्षद्वीप	1
18.	**मध्य प्रदेश**	**11**
19.	महाराष्ट्र	9
20.	मणिपुर	11
21.	मेघालय	3
22.	मिजोरम	2
23.	नागालैंड	7
24.	ओडिशा	3
25.	पुडुचेरी	2
26.	पंजाब	2
27.	**राजस्थान**	**8**
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	5
30.	तेलंगाना	3
31.	त्रिपुरा	2
32.	**उत्तर प्रदेश**	**26**
33.	उत्तराखंड	7
34.	पश्चिमी बंगाल	2
	कुल योग	**167**

संलग्नक-II

देश भर में उन्नयन हेतु समर्थित अनुमोदित आयुष अस्पतालों और औषधालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**आयुष अस्पतालों की इकाइयाँ**	**आयुष औषधालयों की इकाइयाँ**
1	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	1	0
2	आंध्र प्रदेश	10	23
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4	असम	2	0
5	बिहार	0	10
6	चंडीगढ़	0	45
7	छत्तीसगढ़	17	367
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	3	1
9	लद्दाख	0	0
10	दिल्ली	4	0
11	गोवा	0	0
12	गुजरात	10	142
13	**हरियाणा**	**2**	**191**
14	हिमाचल प्रदेश	110	1340
15	जम्मू-कश्मीर	4	55
16	झारखंड	0	0
17	कर्नाटक	17	14
18	केरल	122	100
19	लक्षद्वीप	1	4
20	**मध्य प्रदेश**	**32**	**178**
21	महाराष्ट्र	0	0
22	मणिपुर	2	52
23	मिजोरम	0	0
24	मेघालय	0	3
25	नागालैंड	0	5
26	ओडिशा	2	56
27	पुडुचेरी	0	7
28	पंजाब	0	10
29	**राजस्थान**	**11**	**868**
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	9	0
32	तेलंगाना	4	57
33	त्रिपुरा	6	8
34	**उत्तर प्रदेश**	**46**	**1011**
35	उत्तराखंड	0	161
36	पश्चिमी बंगाल	0	328
	कुल	**416**	**5036**

संलग्नक-III

विगत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत जारी निधियों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा सूचित किए गए व्यय की स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत/आबंटित	उपयोग किया गया	स्वीकृत/आबंटित	उपयोग किया गया	स्वीकृत/आबंटित	उपयोग किया गया
1	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	296.06	295.94	142.39	142.39	407.29	372.85
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	180.85	180.85	402.04	402.04	1186.04	1016.60
4	असम	639.52	507.91	1011.77	908.67	3471.45	2883.72
5	बिहार	1686.08	1686.08	0.00	0.00	1161.06	380.04
6	चंडीगढ़	94.86	94.41	189.73	156.74	226.32	199.74
7	छत्तीसगढ़	841.31	741.43	0.00	0.00	2151.43	1524.79
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	408.45	366.88
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	218.99	218.99	142.29	105.37	628.30	596.39
11	गुजरात	466.93	450.54	1908.62	811.83	2961.42	1442.99
12	हरियाणा	647.70	624.34	1219.91	1219.91	3026.59	2712.05
13	हिमाचल प्रदेश	1261.80	1261.80	3873.58	3865.19	3659.22	3062.52
14	जम्मू-कश्मीर	1313.11	1245.61	4895.09	4699.57	7510.36	7269.62
15	झारखंड	1309.77	1309.77	7752.57	7752.57	2390.42	2203.29
16	कर्नाटक	1821.46	1777.80	1714.09	1546.45	5031.54	4605.48
17	केरल	1153.39	1153.39	4399.83	4122.00	7989.40	7381.76
18	लद्दाख	187.45	185.95	72.27	72.27	47.32	41.77
19	लक्षद्वीप	64.26	64.26	116.32	116.32	332.01	332.01
20	मध्य प्रदेश	3123.20	3123.20	1716.00	1653.21	6120.00	5173.05
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.54	1495.17
22	मणिपुर	170.04	129.75	1723.00	1623.95	0.00	0.00
23	मिजोरम	259.08	259.08	117.27	117.27	1057.86	1039.52
24	मेघालय	609.78	609.78	796.84	796.84	1722.60	1482.39
25	नागालैंड	232.27	232.27	495.78	495.78	1016.97	1016.97
26	ओडिशा	1075.38	1069.56	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पुडुचेरी	200.27	200.19	623.95	620.94	197.08	164.43
28	पंजाब	527.28	527.28	0.00	0.00	109.85	61.46
29	राजस्थान	3189.00	2945.96	0.00	0.00	3731.51	1814.68
30	सिक्किम	99.30	99.30	626.06	626.06	492.37	492.37
31	तमिलनाडु	2348.27	2348.27	2428.69	1879.99	6635.76	6428.71
32	तेलंगाना	3132.25	3044.95	0.00	0.00	1225.17	852.40
33	त्रिपुरा	138.71	127.32	1030.90	1008.40	566.99	470.85
34	उत्तर प्रदेश	13809.72	13601.37	14437.60	13903.51	12418.60	11455.76
35	उत्तराखंड	2622.50	2622.50	1855.80	1855.80	3234.38	2666.70
36	पश्चिमी बंगाल	2118.05	2118.05	1056.58	1045.38	3379.39	2943.63
	कुल	**45838.63**	**44857.87**	**54748.94**	**51548.43**	**86732.67**	**73950.58**